अध्याय III: सेज का विकास

लेखापरीक्षा ने देखा कि सेज के लिए अनुमोदनों की अधिकता थी जिससे उनमें से 38.78 प्रतिशत उनकी अधिसूचना के बाद प्रचालनात्मक हो रहे हैं। आबंटित भूमि का 52 प्रतिशत निष्क्रिय रहा जबकि अनुमोदन काफी पहले 2006 में हो गया। सेज में विनिर्माण सेक्टर में क्रियाकलाप में गिरावट थी। सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित भूमि को डिनोटीफिकेशन के बाद विपथित की गई (कुल मामलों में 100% तक)। विधायी स्तर पर मेल रखने के साथ सत्रह राज्य सेज अधिनियम के कार्यान्वयन में बोर्ड में नहीं थे जिससे सिंगल विंडो सिस्टम हुआ जो अधिक प्रभावी नहीं था। आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचे के अभाव में डेवलपर्स और यूनिटधारक लगभग विना निगरानीन के छूट गए थे। इससे राजस्व प्रशासन के लिए भारी जोखिम खड़ा हुआ।

3.1 सेज की विकास पद्धति-क्षेत्रीय और सेक्टरोरल असंतुलन

सेज की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की उपलब्धि होनी थी वहीं यह देखा गया कि भारत में 392 अधिसूचित सेज में से 301 (77 प्रतिशत) अवसंरचनात्मक रूप से देश के विकसित राज्यों (आंध्र प्रदेश-अब तेलयांगाना और आंध्र प्रदेश में विभाजित-78, महाराष्ट्र-65, तमिलनाडु-53, कर्नाटक-40, हरियाणा-35 और गुजरात-30) स्थित हैं। यह संख्या भारत में सेज की कतिपय लोकेशनल अधिमानता इंगित करता है। राज्य में सेज का फैलाव भी विशेष स्थानों में है। दृष्टांत स्वरूप, आंध्र प्रदेश में 36 प्रचालनात्मक सेज में से 20 हैदराबाद की राजधानी सिटी के निकट हैं। यह परिदृश्य अन्य राज्यों में भी इसी तरह है। यह राज्यों को स्कीम में पूर्ण रूप से शामिल न करने के कारण हो सकता है और 17 राज्यों ने अपने संबंधित सेज अधिनियम/ नीति बनाया भी नहीं है।

राष्ट्रीय निर्यात में उनके निर्यात भाग के अनुसार पूरे ग्लोब में सेज स्कीम के तुलनात्मक विश्लेषण से एमओसी एवं आई द्वारा आवश्यक उपचारी उपाय करने का पता चल सकता है जो संसदीय स्थाई समिति की 83वीं रिपोर्ट में भी संस्तुत हैं।

सेज के सेक्टरवार विश्लेषण से आई/आईटीज सेज के पूर्व आधिपत्य (56.64 प्रतिशत 'अनुमोदन', 60 प्रतिशत 'अधिसूचित' और 60 प्रतिशत 'प्रचालनात्मक') का खुलासा हुआ। बहु उत्पाद सेज जो अधिक श्रम/पूंजी अधिकता वोधक हैं बहुत व्यय (9.60 प्रतिशत अनुमोदन, 6.37 प्रतिशत अधिसूचित और 8.55 प्रतिशत प्रचालनात्मक) है जैसा कि चित्र-7 में चित्रण किया गया है:

फीगर-7: भारत में सेज का श्रेणीवार वितरण

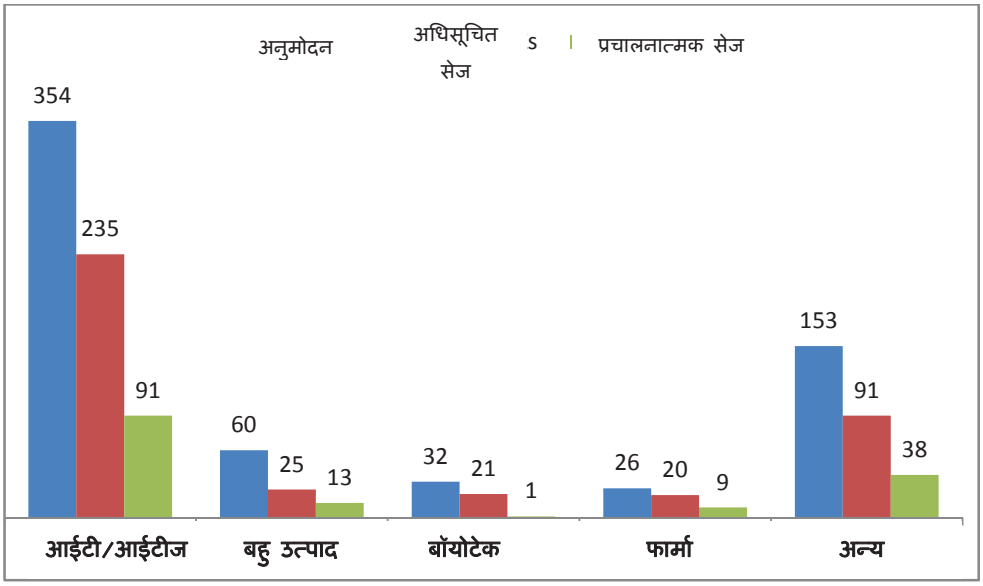

दस वर्ष आय कर ब्रेक अवधि की समाप्ति के अनुरूप आईटी/आईटीज सेज की भारी संख्या से सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अन्तर्गत आईटी सेक्टर अनुमत हुआ जिससे सेक्टर को बढ़ावा मिला। कई यूनिटें बंद हो गई और सेज क्षेत्र में प्रस्तावित लाभो को प्राप्त करने के लिए सेज में सिफ्ट हो गए।

डीओसी ने बताया (अप्रैल 2014) कि सेज को डेवलपर्स के लिए बैंको द्वारा स्वीकृत अवसंरचना प्रास्थिति के कारण हानि उठानी पड़ी। विनिर्माण सेक्टर और आईटी/आईटीज में विकास में असन्तुलन के संबंध में यह भी बताया गया कि विनिर्माण यूनिटें अन्य लाभ जैसे फोक्स प्रोडक्ट स्कीम और फोकस

मार्केट स्कीम में दिए गए प्रोत्साहन अनुमत न होने के कारण हतोत्साहित हुई।

इसके अतिरिक्त, अपने उत्तर में डीओसी ने बताया (जून 2014) कि संतुलित क्षेत्रीय और सेक्टोरियल विकास सेज अधिनियम का कभी उद्देश्य नहीं रहा है। तथापि, सेज की स्थापना के लिए भूमि आवश्यकता के संबंध में राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है ताकि संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सके। सेज नियम, 2006 में संतुलित सेक्टोरल विकास करने हेतु अलग-अलग सेक्टरों के लिए भूमि की आवश्यकता का प्रावधान है।

एसटीपीएस में कर अवकाश को हटाने के लिए आईटी सेज के विकास के संबंध में डीओसी ने बताया कि सेज अधिनियम और नियम के अनुसार आईटी सेज को केवल रिक्त भूमि पर स्थापित किया जा सकता है और डीटीए से पुराने पूंजीगत माल का उपयोग आईटी अधिनियम की धारा 10एए के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है जो केवल प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी के केवल 20 प्रतिशत उपयोग को अनुमत करता है। आईटी/आईटीज सेज के विकास में तुलनात्मक रूप से कम समय की आवश्यकता थी क्योंकि विकसित किया जाने वाला क्षेत्र भी छोटा है और अपेक्षित अवसंरचना बहु-उत्पाद सेज की तुलना में है। जब अवसंरचना का विकास भारत के अन्य भागों में होता हैं तो उद्योग स्वत: फैल जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सेज ढांचे का उपयोग करना संबंधित राज्य सरकार पर है। तथापि, केन्द्र सरकार ने अलग-अलग राज्यों के लिए सेज नियम, 2006 विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यें क्षेत्र आवश्यकता और निर्मित क्षेत्र आवश्यकता के संबंध में विशेष प्रावधान किया है।

लेखापरीक्षा की राय है कि सेज नीति और कार्यविधियां सभी राज्यों को शामिल करने और कतिपय क्षेत्रों तथा सेक्टरों के अनुरूप लाभप्रद बिंदु के लिए निर्देशित नहीं हैं।

सिफारिश: *सेज नीति और कार्यविधियों को सेक्टोरल और राज्य नीतियों सहित उनमें एकमात्र लाभप्रदता बिंदुओं की अन्तर्ग्रस्तता के साथ समाकलित करने की आवश्यकता है।*

3.2 सिंगल विंडो निपटान प्रणाली में ब्लाकस

अन्य के मध्य सेज के विषय क्षेणी विस्तार के लिए एक सम्भव कारण सेज नीति में यथा परिकल्पित प्रभावी सिंगल विंडों तंत्र का अभाव हो सकता है जिसमें एकल प्राधिकार द्वारा सेज परियोजनाओं के लिए सभी अनुमतियां देनी थी जिसका कार्यान्वयन सफलतापूर्वक नहीं क्रिया जा सका। यह देखा गया था कि सिंगल विंडों तंत्र या तो नहीं है अथवा इसके अभिप्रेत उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। केंद्रीय नियामक व्यवस्था के अलावा केवल 11 राज्यों (गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल) ने अपने अलग-अलग सेज अधिनियम/नीति बनाए हैं। शेष 17 राज्य सेज अधिनियम का अधिनियमन नहीं कर सके जिसके कारण केन्द्र और राज्य सरकार स्तर पर विभागों में समन्वय का अभाव था परिणामत:, अनुमोदन प्रदान करने में विलम्ब हुआ और डेवलपर्स/यूनिटों द्वारा भी अपने फीड बैक में यह बताया गया था।

सिंगल विंडो तंत्र का अभाव, राज्यों (तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश) में भी देखा गया जो अपने अलग-अलग अधिनियम/नीति रखते है। एक ऐसे मामले की चर्चा बॉक्स 4 में की गई है।

बॉक्स-4 समन्वय का अभाव जिसके कारण सात वर्ष का विलम्ब हुआ

मै. ओएसई इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नोएडा को आईटी/आईटीज सेज स्थापित करने के लिए बीओए द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था (नवम्बर 2006) और मई 2007 में अधिसूचित किया गया था। तथापि, नोएडा प्राधिकरण द्वारा एफएआर (फ्लोर एरिया अनुपात) के अनुमति न मिलने के कारण 7 वर्षों बाद भी निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका जबकि राज्य सरकार से आवश्यक निर्देश जारी किया गया था (जून 2009)। इसी बीच, बीओए ने नवम्बर 2013 तक अनुमोदन का चौथा विस्तार किया।

इसके अतिरिक्त, ₹ 343.22 करोड़ का निवेश जैसा उनकी परियोजना रिपोर्ट में अनुमान किया गया था, नोएडा प्राधिकरण से अनुमति के अभाव में नहीं किया जा सका।

प्रभावी सिंगल विंडो तंत्र के साथ एक सुनिर्मित राज्य स्तर सेज अधिनियम अथवा नीति सेज विकासकों/यूनिटों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय अधिनियम के सामंजस्य से राज्य में सेज के विकास के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा प्रदान करेगा और श्रम, जनसंख्या नियंत्रण प्राधिकरण,

नगर निगम आदि जैसे राज्य स्तर मामलों को सुगम बनाने/निराकरण करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करेगा। उपर्युक्त आधार बचाव के रास्तों केा बन्द करने के लिए विभिन्न राज्यों में सिंगल विंडो प्रणाली की समीक्षा की मांग करता है। भारत में कारबार वातावरण के सुधार पर औद्योगिक नीति तथा प्रोत्साहन विभाग (एमओसीएवंआई) की नूतन अध्ययन (1 मई 2014) रिपोर्ट में सिंगल विंडो निर्बाधन भारत में कारबार वातावरण के उत्प्रेरण के लिए बेहतर प्रथाओं में एक मानी गई है।

डीओसी ने बताया (अप्रैल 2014) कि सेज योजना राज्य स्तर पर यूनिट अनुमोदन समितियों (यूएसी) के साथ सुविचारित योजना है और केन्द्र स्तर पर बीओए सिंगल विंडो तंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। बीओए विभिन्न मंत्रालय/विभाग से सदस्यों द्वारा प्रस्तुत है जो अन्ततः निर्बाधन देता है। तथापि डीओसी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि बचाव के रास्तों को बन्द करने के लिए विभिन्न राज्यों में सिंगल विंडो प्रणाली की समीक्षा की आवश्यकता है और इस मामले पर उचित पहल करना राज्य सरकारों पर निर्भर है। डीओसी ने आगे बताया कि अनेक राज्यों में सिंगल विंडो योजना अभी लागू की जानी है।

लेखापरीक्षा का मत है कि अनुमोदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए परिकल्पित सिंगल विंडो प्रणाली बाहर नहीं है क्योंकि अनेक राज्य अपनी सुमेलन नीतियों /अधिनियमों के साथ पटल पर नहीं हैं।

3.3 सेज की अधिसूचना - समयसीमा का अभाव

सेज अधिनियम 2005 की धारा 4(1) अधिसूचना की प्रक्रिया अनुबंद्ध करती है जिसमें विकासक जिसे अनुमोदन पत्र दिया गया है, केन्द्र सरकार को अभिज्ञात भूमि के विवरण प्रस्तुत करना है जो आगे संतुष्ट होने, कि धारा 3 की उपधारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाएं और अन्य अपेक्षाएं जो निर्धारित की जाएं, पूरी की गई हैं, पर सेज अधिसूचित करती है।

यद्यपि सेज अधिनियम अथवा नियमों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अन्दर सेज अधिसूचित करने के लिए अपेक्षित सभी ब्यौरे प्रस्तुत करने की विकासक को आवश्यकता है। ऐसे प्रावधानों के अभाव के

परिणामस्वरूप अधिसूचनाएं जारी करने में विलम्ब हुए। परिणामस्वरूप दिए गए 625 औपचारिक अनुमोदनों के प्रति भारत में केवल 392 सेज अधिसूचित किए जा सके। सम्पूर्ण देश में 2006 तथा जुलाई 2013 के बीच दिए गए अनुमोदनों की तुलना में अधिसूचनाओं के विश्लेषण ने दर्शाया कि वर्ष दर वर्ष अनिर्णय 57 प्रतिशत तथा 95 प्रतिशत के बीच थी जिन्हें विभिन्न चरणों पर लिए गए समय की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस तथ्य से युग्मित कि सेज अनुमोदनों के लिए समय विस्तार नेमी रीति में दिए जा रहे हैं, केवल समय सीमा शिथिलता मामले संयोजित करती है।

आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश में छः सेज की समीक्षा ने दर्शाया कि मै. इडको, कालिंगानगर, ओडिशा के मामले में 7 वर्षों के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी। अथवा मै. गोयालपुट सेज, ओडिशाके मामले में 7 वर्षों तक विलम्ब हुआ।

एक मामला जहाँ आंध्र प्रदेश में एक विकासक को 2008 में 14 अनुमोदन किए गए थे परन्तु आज तक अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी, वाक्स 5 में उल्लिखित है।

बाक्स-5: एक विकासक को चौदह अनुमोदन परंतु अधिसूचित कोई नहीं

आंध्र प्रदेश में एक विकासक मै. डकन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड लैण्ड हाउसिंग लि., एपी हाउसिंग बोर्ड की सहायक कम्पनी को 2008 में 640.964 हैक्टेयर पर राज्य के विभिन्न स्थानों में सेज की स्थापना करने के लिए 14 अनुमोदन किए गए थे। एलओपी की वैधता 2011 में समाप्त हो गई जो जुलाई 2012 तक बढ़ाई गई थी। तब भी विकासक अधिसूचना के लिए अनुबद्ध शर्तों, यथा कानूनी अधिकार,अपरिवर्तनीय भूमि अधिकार, भूमि का सामीप्य आदि को किसी भी अनुमोदन में पूरी नहीं कर सका। या तो मामले की समीक्षा करने अथवा अनुमोदन रदद करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

डीओसी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि विकासक एलओए देने के बाद केन्द्र सरकार को पहचाने गए क्षेत्र के सही विवरण प्रस्तुत करेगा और उसके बाद सरकार स्वयं संतुष्ट होने के बाद राज्य में विशेष रूप से पहचाने गए क्षेत्र को सेज के रूप में अधिसूचित कर सकती है। सेज अधिसूचित करने

की औपचारिकताएं पूरी करने में राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के साथ समन्वय आवश्यक होता है जिसमें समय लगता है। इसलिए विकासक को औपचारिक अनुमोदन देने के बाद अधिसूचना जारी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना कठिन है। इसके अलावा अधिसूचना जारी करने से पूर्व सेज किसी शुल्क लाभ का पात्र नहीं है। सेज लाभ प्राप्त करने के लिए अधिसूचना जारी होना पूर्व अपेक्षा है।

लेखापरीक्षा का मत है कि सामयिकता अन्य बातों के साथ विलम्ब, यदि कोई हों, के मानीटरन में सहायता कर सकती है।

सिफारिश: *एमओसीएण्डआई निर्देश चिन्हन प्रयोजनों हेतु सेज जीवन चक्र के प्रत्येक चरण के लिए समय सीमाएं निर्धारित करने पर विचार करे।*

3.4 अनुमोदन में विलम्ब

अनुमोदन बोर्ड (बीओए) को सेज नियम 2006 के नियम 5 के साथ पठित सेज अधिनियम 2005 की धारा 9 के अनुसार सेज स्थापना के अनुमोदनों को अनुमोदित/अस्वीकृत/आशोधित करने की शक्ति है। सभी सम्बन्धित अधिकारियों, यथा विकास आयुक्त, राज्य सरकार और भारत सरकार की ओर से उक्त नियमों में विभिन्न चरणों पर संसाधन के लिए 15 दिन से 6 माह तक के बीच समय सीमा निर्धारित की गई है। तथापि अनुमोदन करने के लिए बीओए के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बीओए कार्यवृत्तों तथा कार्यसूची कागजों की संवीक्षा से हमने देखा कि महाराष्ट्र, केरल तथा तमिलनाडु में 5 उदाहरणों में समय के अभाव के कारण प्रकट रूप से प्रस्ताव छः माह से एक वर्ष तक आस्थगित किए गए थे यद्यपि आवेदकों ने भूमि का अधिकार सुनिश्चित किया था और राज्य सरकारों की सुस्पष्ट सिफारिशें मौजूद थीं। परिणामतः इन सेज की स्थापना उस सीमा तक विलम्बित हुई।

डीओसी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि जबकि अनुमोदन देने में विलम्ब एक अपवाद है और प्रतिमान नहीं वहीं यह अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से होता है। अब बीओए की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं और विलम्ब नहीं हो रहे हैं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमोदन देने में विलम्ब का बताया गया कारण समय की कमी था जो 33 बीओए की कार्यसूची से स्पष्ट है। इसके अलावा कार्यसूची में ही बीओए ने स्पष्ट किया कि भूमि मै. एमएम टेक टावर, मै. एमार एमजीएफ लैण्ड लिमि.तथा मै. यशप्रभा एन्टरप्राइजेज के संबंध में विकासक के अधिकार में थी। बीओए ने राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर सैद्धान्तिक अनुमोदन भी किया और इसलिए सैद्धान्तिक अनुमोदन मै. यशप्रभा एन्टरप्राइजेज तथा मै. लिमिटलैस प्रोपर्टीज, जिनकी सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की गई थी, के संबंध में दिया जा सकता था।

3.5 राज्य सरकार की सिफारिश पर विचार न करना

विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 की धारा 3(3) के अनुसार कोई व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने का इरादा रखता है, अपने विकल्प पर क्षेत्र की पहचान करने के बाद विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के प्रयोजन हेतु बोर्ड को सीधे प्रस्ताव करता है, वशर्ते कि ऐसा प्रस्ताव उपधारा के अंतर्गत व्यक्ति से सीधे प्राप्त हुआ है, बोर्ड अनुमोदन कर सकता है और ऐसे अनुमोदन की प्राप्ति के बाद सम्बन्धित व्यक्ति अवधि, जो निर्धारित की जाए, के अन्दर राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करेगा।

हमने देखा कि आठ मामलों में विकासकों ने बोर्ड को सीधे सेज की स्थापना के प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे और बीओए की बैठक में मामले पर विचार करने से पूर्व वाणिज्य विभाग (डीओसी) में राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त हो गई थी। तथापि विकासकों को सैद्धान्तिक अनुमोदन/आस्थगन के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर विचार किए बिना औपचारिक अनुमोदन दिए गए थे।

इसके अलावा हमने यह भी देखा कि 100 एकड़ क्षेत्र में करकपतला गांव, जिला मेडक, आंध्र प्रदेश में बायोटेक सेज की स्थापना के लिए मै. एपीआईआईसी के प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार ने अपने पत्र संख्या 9289/आईएनएफ/ए2/2006 दिनांक 1.7.2006 तथा 19.7.2006 में 75 एकड़ क्षेत्र के औपचारिक अनुमोदन के प्रस्ताव की सिफारिश की। तथापि बीओए ने केवल 75 एकड़ तक बायोटेक सेज सीमित करने की राज्य सरकार

की सिफारिश पर विचार किए बिना 100 एकड़ (40.47 हैक्टेयर) के क्षेत्र का औपचारिक अनुमोदन किया था।

डीओसी ने अपने उत्तर (जून 2014) में सेज अधिनियम तथा सेज प्रावधानों पर ध्यान आकर्षित कर बताया कि आरंभ में सेज की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार किया गया था और राज्य सरकार की सिफारिश बिना भी बीओए द्वारा अनुमोदन किए गए थे। नियम जीएसआर 501 (ई) दिनांक 14.6.2010 के तहत स्थानापन्न किए गए हैं जो दर्शाता है कि 'धारा 3 की उपधाराओं (2) से (4) के अंतर्गत प्रत्येक प्रस्ताव फार्म 'ए' में किया जाएगा और सम्बन्धित विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा जैसा अनुबन्ध ।।। में निर्दिष्ट है, जो इसे पन्द्रह दिनों की अवधि के अन्दर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट, राज्य सरकार की सिफारिश तथा नियम 7 के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य ब्यौरों के साथ बोर्ड को भेजेगा।'

लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित मामले 2010 से पहले की अवधि से सम्बन्धित हैं और इसलिए ऐसे प्रस्तावों पर तब सेज अधिनियम/नियमों के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और अनुमोदन किया गया था। तथापि लेखापरीक्षा आपत्ति भावी अनुपालन के लिए नोट की गई थी।

ऐसे अन्य मामलों की समीक्षा की जाय और परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जाएं।

3.6 औपचारिक अनुमोदनों का अनियमित विस्तार

विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 का नियम 6(2) (क) अनुबद्ध करता है कि विकासक अथवा सह विकासक, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित विकास आयुक्त को फार्म सी 1 में अनुमोदन की वैधता की समय वृद्धिके लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

दो विकासकों, अर्थात मै. पेनीसुला फार्मा रिसर्च सेंटर और मै. विप्रो लिमिटेड जिनके औपचारिक अनुमोदन की तारीखें क्रमश: 25.10.2006 तथा 25.6.2007 हैं के संबंध में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि औपचारिक

अनुमोदन की वैधता को बढ़ाने का आवेदन न तो इस प्रयोजन हेतु निर्धारित सी 1 में किया गया था और न ही सम्बन्धित विकास आयुक्त द्वारा यथावत सिफारिश की गई थी।

यह आगे देखा गया था कि मै. एपीआईआईसी, करकपतला गांव, मुलुगू मण्डल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश (एफ 2/317/2006 ईपीजैड) के मामले में औपचारिक अनुमोदन 26 अक्तूबर 2006 को किया गया था। 26 अक्तूबर 2006 से 25 अक्तूबर 2011 की अवधि को छोड़कर 25 अप्रैल 2014 तक आगे समय वृद्धि दी गई थी।

इसी प्रकार मै. असंल आईटी सिटी एण्ड पार्क्स लिमिटेड, प्लाट सं0 टीजैड 06 टैक जोन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश (फा.2/28/2006-सेज) के मामले में अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 7.4.2006 को औपचारिक अनुमोदन दिया गया था। औपचारिक अनुमोदन 7,4.2012 (66 दिन) तक की बीच की अवधि को छोड़कर 11.6.2014 तक आवधिक रूप से बढ़ाया गया था।

डीओसी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि सेज नियमों के नियम 6 (2) (क) के अनुसार किसी विकासक को दिया गया औपचारिक अनुमोदन 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध है जिस समय के अन्दर कम से कम एक यूनिट को उत्पादन के आरंभ के ऐसी तारीख से परिचालन होने के लिए सेज के लिए उत्पादन आरंभ करना चाहिए। विकास द्वारा एक आवेदक पर बोर्ड वैधता अवधि को बढ़ा सकता है। विकासक सम्बन्धित डीसी को फार्म सी 1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा जो अपनी सिफारिशों के साथ इसे बोर्ड को भेजेगा। फार्म सी 1 सेज नियमों में 14.6.2010 से लागू किया गया है और इसलिए फार्म सी 1 बिना औपचारिक अनुमोदन को वृद्धि देने का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मै. एपीआईआईसी तथा मै. अंसल आईटीसिटी एण्ड पार्क्स लि. के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा उद्धृरित मामले को 14.6.2010 के बाद समय वृद्धि दी गई थीं।

3.7 फार्म ए में प्रक्षेपित निर्यातों न भेजा जाना

हमने देखा कि 16 मामलों में सेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय पर फार्म में अगले पांच वर्षों में परियोजना से प्रक्षेपित निर्यातों के

आंकड़े आवेदन के साथ विकासक द्वारा भेजे नहीं गए थे जो अनिवार्य अपेक्षा है। तथापि बीओए ने औपचारिक अनुमोदन दिए और बाद में सेज की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की। चूंकि विकासकों ने अपने आवेदन में निर्यात आंकड़े नहीं डाले थे। इसलिए इन मामलों में प्रक्षेपित निर्यातों के संबंध में उनके निष्पादन का लगातार मानीटर नहीं किया जा सका।

डीओसी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि फार्मए की सेज की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करने के समय पर संवीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित मामले एकाकी मामले हैं और मानक प्रथा नहीं है। प्रक्षेपित निर्यात आंकडे निर्यात निष्पादन की तुलना में प्रक्षेपित निर्यातों को मापने को मार्गदर्शन प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। जोनल विकास आयुक्त सभी विकासकों तथा यूनिटों के निर्यात निष्पादन का आवधिक रूप से मानीटर करते हैं। सेज परिचालन में होने और यूनिटों के उत्पादन आरंभ करने के बाद यूनिटों को 5 वर्षों के ब्लाक के लिए एलओपी दिए जाते हैं। उनसे 5 वर्षों के ब्लाक के लिए सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। उनका निष्पादन इन मानदण्डों पर मापा जाता है और एलओपी की आगे समय वृद्धि सकारात्मक एनएफई की प्राप्ति पर आधारित होती है। दोषी यूनिटों को सेज अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जाता है।

डीओसी का तर्क है कि लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित मामले एकाकी मामले हैं, स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि 187 विकासकों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 16 विकासकों ने सेज की स्थापना के लिए आवेदन करते समय फार्म ए प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया मामला विकासक/यूनिट द्वारा विदेशी मुद्रा के अर्जन के मानीटर करने से सम्बन्धित नहीं है बल्कि यह कोडल प्रावधानों के अननुपालन का मामला है।

3.8 कार्य आरंभ करने में विफलता के बावजूद अनुमोदनों को वृद्धि

सेज स्थापित करने के लिए विकासकों को दिया गया औपचारिक तथा सैद्धान्तिक अनुमोदन क्रमश: तीन वर्ष तथा एक वर्ष के लिए वैध है जैसा सेज नियम 2006 के नियम 6(2) में अनुबद्ध है सेज यूनिटों को दिए गए अनुमोदन पर एक वर्ष के लिए वैध है जिसके अन्दर नियम 19(4) के तहत यूनिट को उत्पादन आरंभ करना आवश्यक है। पूर्व प्रावधान के अनुसार बीओए तथ्यों, कि विकासकों/यूनिटों ने परियोजना के परिचालनीकरण के लिए पर्याप्त कदम उठाए

हैं और आगे वृद्धि न्याय संगत कारणों पर आधारित है, अभिनिश्चित करने के बाद अधिकतम दो वर्ष तक इस समय सीमा को बढ़ाने का अनुमोदन कर सकता है। तथापि दो वर्षों के प्रतिबन्ध को शिथिल किया गया था (जून 2010) जिसके कारण अनुमोदन की वृद्धि 7 से 8 वर्ष हो गई यद्यपि विकासकों ने कोई निवेश आरंभ नहीं किया था जिससे योजना का मूल उद्देश्य विफल हो गया। हमने 9 राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) में 31 विकासकों तथा 10 यूनिटों के मामले में देखा कि इन परियोजनाओं में शून्य/नाम मात्र निवेशों के बावजूद नेमी मामले के रूप में वृद्धियां दी गई थी।

परिणामस्वरूप किसी भी परियोजना में प्रक्षेपित निवेश, रोजगार तथा निर्यात प्राप्त नहीं किए जा सके। हमारा विश्वास है कि परियोजनाओं की प्रगति को इससे जोडे बिना नेमी रीति में वृद्धियां देना विकासकों द्वारा प्रक्षेपित अभिप्रेत सामाजिक आर्थिक लाभों को निष्फल करने के अलावा सेज भूमि के वैकल्पिक उपयोग की योजना बनाने के लिए अथवा सरकारी भूमि[7] के प्रति ऋण लेने के लिए सेज मार्ग का उपयोग कर विकासकों के जोखिम से भरा है।

बॉक्स-6 में निम्नलिखित उदाहरण संकेत किए जा रहे मामले का और उल्लेख करता है जहॉ महाराष्ट्र में मै. नवी मुम्बई सेज को नेमी वृद्धियां (6वी वर्ष) दी गई थीं यद्यपि विकासक ने अनुमोदन से संलग्न शर्तों का पालन नहीं किया था।

बॉक्स-6: निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफलता के बावजूद नेमी वृद्धियां

मै. नवी मुम्बई सेज (एनएमसेज) ने द्रोणगिरि, महाराष्ट्र में 1250 हैक्टेयर क्षेत्र पर बहु उत्पाद सेज सथापित करने के लिए आवेदन किया (फरवरी 2006) और अपने आवेदन में बताया कि भूमि सार्वजनिक सड़कों तथा रेलवे लाइनों,जिनमें फ्लाई ओवर/अण्डरपास बनाए जाएंगे, को छोड़कर संलग्न है। बीओए ने शर्तों कि विकासक समर्पित सुरक्षा द्वारों/प्लाईओवरों/अण्डरपासों को प्राप्त करने के द्वारा सामीप्य करेगा और सामीप्यता स्थापित करने के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा, के अध्यधीन औपचारिक अनुमोदन दिया (जुलाई 2007)। यह आगे बताया गया कि सामीप्यता स्थापित करने का कार्य रेलवे तथा एनएचएआई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही आरंभ किया जाएगा।

[7] *एपी में भूमि आवंटन पर सीएजी के प्रतिवेदन 2011-12 का पैरा 4.8*

बॉक्स-6: निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफलता के बावजूद नेमी वृद्धियां

इसी बीच एमओईएफ ने इस शर्त कि विकासक सुनिश्चित करता है कि एनएमसेज परिधि के क्रीक क्षेत्रों में मैनग्रोव पूर्णतया संरक्षित है और चूंकि द्रोणगिरि सीआरजैड अधिसूचना के अंतर्गत आता है इसलिए विकासक को याचिका सं. 2004 की 3246 में माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 6 अक्तूबर 2006 का पालन करना आवश्यक है, के अध्यधीन पर्यावरण निर्बाधन दिया (अगस्त 2006)।

उपर्युक्त किसी शर्त का अनुपालन करने में विकासक की विफलता के बावजूद बीओए ने उसी वर्ष (नवम्बर 2007) में सेज अधिसूचित किया और नेमी रीति में वृद्धियां (6 वर्ष से अधिक) दे रहा था। विकासक ने ₹ 4.9 करोड के पूर्व निश्चित शुल्क के साथ ₹ 37.82 करोड़ मूल्य के शुल्क मुक्त माल की खरीद की थी (31 मार्च 2013 को)। निवेश (₹ 2800 करोड), निर्यात (₹ 10,000 करोड) तथा रोजगार (75000) के प्रति विकासक द्वारा प्रक्षेपित प्रत्याशित सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके क्योंकि परियोजना इसकी अधिसूचना के छः वर्षों के बाद भी आरंभ नहीं हुई थी।

डीओसी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि सेज नियमों 2006 का नियम 19(4) डीसी द्वारा यूनिट को एलओए की वृद्धियों की सीमा निर्धारित करता है। पैरा के अंतर्गत स्वीकार्य वृद्धियों की निर्धारित सीमा से अधिक बीओए नियम 19(4) के परन्तुक के अंतर्गत अलग-अलग मामले के आधार पर आगे वृद्धियां देता है।

विकासकों/सह विकासकों के संबंध में एलओए की वृद्धियां मामले के गुणदोष, कारकों जैसे वैश्विक मन्दी, उद्योग विशेष चक्रीय समस्याओं आदि को ध्यान में रखकर बीओए द्वारा दी जाती हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित राजस्व की हानि वास्तविक हानि नहीं है परन्तु काल्पनिक हानि है। यूनिट जब एक बार प्रचालन आरंभ करता है और एलओए की बढ़ी अवधि के अन्दर निर्यात करता है तब सरकार को कोई हानि नहीं है। यदि यूनिट प्रचालन आरंभ करने में विफल होती है और एलओए समाप्त हो जाता है तब लागू शुल्क तथा प्राप्य, यदि कोई हो, सरकार द्वारा संग्रहीत किए जाएंगे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नियम 19(4) के परन्तुक के अनुसार 3वर्षों की अधिकतम अवधि की वृद्धि इस शर्त के अध्यधीन थी कि

निर्माण सहित यूनिट की स्थापना से संबंधित दो तिहाई कार्यकलाप पूर्ण हैं और एक चार्टर्ड इंजीनियर का इस आशय का प्रमाण पत्र ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित मामलों में कोई भी शर्त विकासक द्वारा पूरी नहीं की गई थी और विकासक प्रचालन आरंभ करने में विफल हो गए थे, उस रूप में उसके द्वारा लिए गए शुल्क लाभों को वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

3.9 निर्धारित प्रतिमानों के उल्लंघन में 6 वर्ष से अधिक वृद्धि

अनुमोदन बोर्ड ने अपनी बैठक (सितम्बर 2012) में विकास आयुक्तों को केवल संतुष्ट होने कि विकासक ने परिचालनीकरण के प्रति पर्याप्त कदम उठाए थे और आगे वृद्धि तर्क संगत कारणों पर आधारित है, के बाद 5 वर्ष से अधिक और आगे औपचारिक अनुमोदन की वृद्धि के अनुरोधों की सिफारिश करने की सलाह दी। बोर्ड ने यह भी पाया कि वृद्धियां नेमी मामलों के रूप में नहीं दी जाएं जब तक कि विकासकों द्वारा कुछ जमीनी प्रगति न की गई हो। इसलिए बोर्ड ने विचारविमर्श के बाद पांच वर्ष से आगे एक वर्ष के लिए और छटवें वर्ष से आगे अंतिम वृद्धि की समाप्ति की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए वृद्धियों के अनुरोधों के औपचारिक अनुमोदन की वैधता बढ़ा दी।

यद्यपि हमने बाद की बीओए बैठकों के कार्यवृत्तों की संवीक्षा से देखा कि आंध्र प्रदेश, गुजराजत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल से संबंधित 22 मामलों में 6वें वर्ष से आगे वृद्धियां छः माह के स्थान पर एक वर्ष के लिए दी गई थीं।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित मामलों में बीओए ने वैश्विक मंदी, विशेष उद्योग की बाजार स्थिति आदि, जिनके आधार पर बीओए सेज मामलों पर उच्चतम निर्णायक प्राधिकरण अलग-अलग मामले आधार पर निर्णय करता है, को ध्यान में रखकर तमिलनाडु में 9 विकासकों को 6वें वर्ष से आगे वृद्धियां दी हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेज अधिनियम/नियम के प्रावधानों की अवहेलना करने की बीओए को कोई शक्ति नहीं है।

3.10 पर्यावरण निर्बाधन बिना परिचालनरत सेज

यद्यपि सेज के प्रमुख उद्देश्य निर्यातों को प्रोत्साहित करना और निवेश आकर्षित करना है, परन्तु यदि उचित योजना नहीं की जाती है तो वे प्राकृतिक आवासों को प्रभावित कर सकते हैं और परिणामस्वरूप आवश्यक वन क्षेत्र तथा जैवविविधिता की हानि हो सकती है।

पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (V) और उपधारा (1) के अनुसार अधिसूचना में सूचीबद्ध नई परियोजनाओं के निर्माण अथवा कार्यकलाप अथवा वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार अथवा आधुनिकीकरण जिनको प्रक्रिया और अथवा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ क्षमता वृद्धि आवश्यक है, केवल अधिसूचना में विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र सरकार अथवा कथित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत गठित राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसआईईएस) से, जैसा भी मामला हो, पूर्व पर्यावरण निर्बाधन के बाद भारत के किसी भी भाग में आरम्भ किया जाएगा।

यह देखा गया था कि आंध्र प्रदेश में 36 परिचालन विकासकों में से 10 और महाराष्ट्र में 11 चयनित परिचालन विकासकों में से 2 ने एमओईएफ[8] की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना और एसआईईएए द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार पर्यावरण निर्बाधन प्राप्त नहीं किया गया है जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

[8] *पर्यावरण एवं वन मंत्रालय*

क्र. सं.	विकासक का नाम	अधिसूचना की तारीख	प्रचालन की तारीख	अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 की अनुसूची अनुसार परियोजना अथवा कार्यकलाप का स्वरूप
1	अनरक एल्यूमिनियम लि0 मकवानीपलेम वायजाग	5.52009	शून्य	एल्यूमिना 3(क)
2	अपाचे सेल डवलपमेंट इण्डिया प्रा0 लि0 फुटलीयर, टाडा नेल्लोर जिला	8.8.2006	27.12.11	चमडा परिसर 7(ग)
3	एपीआईआईसी लि0 फार्मूलेशन, जेडचरला महबूब नगर	13.6.2007	शून्य	फार्मूलेशन 5(च)
4	दिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, फार्मा चिघाडा, वाइजाग	16.5.2006	12.12.06	फार्मूलेशन 5(च)
5	डॉ0 रेडडी लेवोरेटरीज लि. फार्मा रानासतल, श्री काकुलमज	11.11.2009	शून्य	फार्मूलेशन 5(च)
6	हीटेरो इन्फ्रास्ट्रक्चर फार्मा नक्कापल्ली, वाइजाग	11.01.2007	01.04.11	फार्मूलेशन 5(च)
7	एपीआईआईसी विल्डिंग प्रोडक्ट प्रकाशम	08.09.2009	13.08.10	7(च)
8	एपीआईआईसी, आईटी/आईटीईएस हिल नं.3 मधुरवाडा, वाइजाग	28.12.2006	03.02.08	7(च)
9	एपीआईआईसी, आईटी/आईटीईएस, हिल सं0 2 मधुरवाडा, वाइजाग	11.04.2007	25.11.09	7(च)
10	लैण्ड टी, आईटी/आईटीईएस, हाईटेक सिटी कीसरपल्ली, गन्नवरम	15.01.2007	01.04.10	7(च)
11	वोछरदत इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड	17.04.2007	31.05.2012	सेज 7(ग)
12	क्वाडरोन विजनेस पार्क लि. सेज पूणे (पूर्व में डीएलएफ आकृति इन्फोपार्क लि.के रूप में ज्ञात)	14.09.2007	12.11.2007	सेज 7(ग)

सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा उचित पर्यावरण निर्बाधनों बिना प्रचालन करना जोखिम हैं जिनकी उनके कार्यकलापों की तुलना में इसके प्रतिमानों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि मै. क्वाड्रोन विजनेस पार्क लिमिटेड के मामले में एक यूनिट ने पर्यावरण निर्बाधन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है और जोनल डीसी कार्यालय को प्रस्तुत किया है। दूसरी यूनिट ने भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्बाधन प्राप्त किया है। उनसे और विलम्ब बिना पर्यावरण

निर्बाधन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहा गया है। तथापि अनुपालन हेतु आपत्तियां नोट की गई हैं और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले की जांच की जा रही है।

डीओसी लेखापरीक्षा को अंतिम परिणाम सूचित करे।

3.11 मै. अदानी पोर्टस तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र लि. के मामले में पर्यावरण प्रभाव तथा सीआरजैड निर्बाधन

माननीय भारत[9] के उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि वन, तालाब, पोखर आदि,जो प्रकृति की दान हैं, उत्तम परिस्थितिक संतुलन कायम रखते हैं और इसलिए उचित तथा स्वस्थ पर्यावरण के लिए संरक्षित किए जाने आवश्यक हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने अप्रैल 2006 में रक्षा अधिसूचित भूमि के 500 वर्ग गज के अन्दर निर्माण कार्यकलाप प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए। सेज निर्देश सं.65 दिनांक 27 अक्तूबर 2010 भी सेज की स्थापना के लिए सिंचित तथा दोहरी फसल भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध निर्धारित करता है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सीआरजैड-91 दिनांक 19 फरवरी 1991 (सीआरजैड-2011 के रूप में संशोधित) के तहत तट के समानान्तर अनेक परिस्थिक विनाशक कार्यकलापों को प्रतिबन्धित किया था। इसके अलावा वाणिज्य विभाग के माध्यम से जारी सेज प्रभाग निर्देश संख्या 65 दिनांक 27 अक्तूबर 2010 सेज के विकास पर मार्गनिर्देश अनुबद्ध करते हैं कि जैसा संभव हो सेज मूल सुविधाओं तथा आवश्यकताओं के संबंध में स्वतः नियंत्रित होंगे। सेज का विकासक स्थल विश्लेषण तथा भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों के निर्धारण को ध्यान में रखकर विकास योजना बनाएगा। इसके अलावा सेज का विकासक कानून द्वारा यथा निर्धारित पर्यावरणीय पहलुओं, योजित हरित क्षेत्रों, भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों तथा आपदा न्यूनीकरण पहलुओं का समाधान करने का प्रयास करेगा।

हमने डीसी, अदानी पोर्टस एण्ड स्पेशल विशेष आर्थिक क्षेत्र (पूर्व मुन्द्रा पोर्टस एण्ड स्पेशल विशेष आर्थिक क्षेत्र) (एपी एण्ड सेज) मुन्द्रा कार्यालय पर पाया

[9] *सिविल अपील सं. 4787/2001 (एसएलपी सं. 13695/2000 दिनांक 25.7.2001*

कि बीओए की 59वीं बैठक दिनांक 30 अगस्त 2013 में निर्णय के अनुसार इसे मुन्द्रा में 1856 हैक्टेयर भूमि पर उनके नए बहु उत्पाद सेज स्थापित करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया था जिसमें से 1840 हैक्टेयर भूमि (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जीओआई, नई दिल्ली के पत्र सं. एफ सं. 8-2/1999-एफसी(पीटी) दिनांक 30 सितम्बर 2009 के तहत और गुजरात सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन सं. एफसीए – 1009(10-14) एसएफ -18 के दिनांक 17 नवम्बर 2009 के अनुसार) सरकार द्वारा 2009 में एपी एण्ड सेज को आवंटित वास्तव में आरक्षित वन भूमि थी। 16 हैक्टेयर की शेष भूमि नए सेज के लिए 'भूमि की सामीप्यता' की शर्तों को पूरा करने के लिए 1840 हैक्टेयर भूमि के साथ इसे जोड़ने के इरादे से वर्तमान सेज से डीनोटीफाई किया गया था। इस प्रकार बीओए ने आरक्षित वन भूमि पर नया सेज स्थापित करने के सैद्धान्तिक अनुमोदन पर विचार किया था।

इसके अलावा विशिष्ट अधिकारी, डीसी कार्यालय मुन्द्रा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एपी एण्ड सेज मुन्द्रा ने सेज की स्थापना के लिए पर्यावरण निर्बाधन प्राप्त नहीं किया था। एपी एण्ड सेज द्वारा सीआरजैड निर्बाधन के ब्यौरों पर सूचना के लिए यह उत्तर दिया गया था कि विकासक ने डीसी कार्यालय को सीआरजैड निर्बाधन से संबंधित सूचना नहीं दी थी।

तथापि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एफओईएफ) की वेबसाइट में उपलब्ध सूचना (एसपीएन दिनांक 30 सितम्बर 2013 और पर्यावरण मामलों पर रिपोर्ट) के अनुसार यह पाया गया था कि:

- एमओईएफ ने मुन्द्रा में पत्तन सुविधाओं के विकास के लिए 12 जनवरी 2009 को एपी एण्ड सेज को पर्यावरण तथा सीआरजैड निर्बाधन दिया। तथापि मच्छीमार अधिकार संघर्ष संगठन के प्रतिवेदनों के आधार पर एमओईएफ के स्थल सत्यापन (6-7 दिसम्बर 2010) किया और हवाई अड्डा, नगर क्षेत्र, अस्पताल के निर्माण तथा मैनग्रोव के विध्वंश से संबंधित असंदिग्ध उल्लंघन पाए गए। मंत्रालय ने परियोजना अधिकारियों को नए सीआरजैड क्षेत्र में कोई सुधार कार्यकलाप

आरंभ न करने और कोई नया निर्माण कार्यकलाप आरंभ न करने के 23 फरवरी 2011 को निर्देश दिए।

- परियोजना अधिकारियों द्वारा मैनग्रोव के विनाश का आरोप लगाते हुए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में खेती विकास सेवा ट्रस्ट द्वारा 2011 की पीआईएल 12 भी दाखिल की गई थी।
- गंभीर उल्लंघनों के कारण एमओईएफ के मामले की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया (सितम्बर 2012) और समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की (18 अप्रैल 2013) जिससे प्रतिकूल प्रभावों के साथ भारी पारिस्थितिक परिवर्तनों, ईसी बिना एयरशिप/एयरोड्रम का निर्माण, अप्राधिकृत निर्माण जैसे उल्लंघनों का पता चला परिणामस्वरूप क्रीकों का अवरोधन, मैनग्रोव का अनियंत्रित विनाश आदि हुए।
- समिति ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए उपचारी उपायों की सिफारिश की और 30 सितम्बर 2013 को एपी एण्ड सेज को एससीएन जारी किया।

यह देखा गया था कि यद्यपि सेज क्षेत्र तटीय क्षेत्र जोन के अन्दर था और सेज 2006 से कार्य कर रहा था फिर भी विभाग दिसम्बर 2010 तक पर्यावरणीय मार्गनिर्देशों/सीआरजैड मार्गनिर्देशों का अननुपालन अभिनिश्चित करने में विफल हो गया। यह मामला दिसम्बर 2010 में मछुआरा समुदाय से प्रतिवेदनों की प्राप्ति के बाद ही विभाग की जानकारी में आया। 2005-06 से 2010-11 तक विभाग द्वारा पर्यावरणीय अनुपालन का मानीटर न करने के कारण पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर ऋणात्मक प्रभाव हुआ जैसा एमओईएफ द्वारा सूचित किया गया।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014)कि यद्यपि सेज को एमओईएफ) द्वारा पर्यावरण निर्बाधन नहीं दिया है तथापि एमओईएफ के मूल्यांकन समिति ने पर्यावरण तथा सीआरजैड निर्बाधन के लिए परियोजना की सिफारिश की है। आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले की जांच की जा रही है।

डीओसी लेखापरीक्षा को अन्तिम परिणाम सूचित करे।

3.12 गैर परिचालन यूनिटों का मानीटर करने के तंत्र का अभाव

नियमों के अनुबन्ध । के साथ पठित सेज नियमों का नियम 54 यूनिटों के निष्पादन के मानीटर को अनुबद्ध करता है जिन्होंने उत्पादन आरंभ करने की तारीख से प्रचालनों का कम से कम एक वर्ष पूरा कर लिया है। तथापि यूनिटों, जिन्होंने अपना प्रचालन आरंभ नहीं किया है, का मानीटर करने का कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप उनके कार्य डीसी/यूएसी द्वारा दैनिक मानीटरन से सामान्यतया बाहर रहते हैं। कुछ ऐसे मामले, जहाँ वृद्धि का पांचवां वर्ष प्रगति पर है परन्तु शुल्क युक्त माल आयात करने के बावजूद यूनिटों ने अपना प्रचालन अभी आरंभ करना था, नीचे दर्शाए गए हैं:

विकासक/यूनिट	स्थान/राज्य	आयातित माल का मूल्य तथा छोडे गए शुल्क की राशि (करोड़ में)	आयात का वर्ष
मै. एक्स एल इनर्जी	फैब सिटी हैदराबाद आंध्र प्रदेश	153/37.94	2008 तथा 2009
मै. आईगेट ग्लोबल सोल्यूशन्स	एमओईडीसी, पूणे, महाराष्ट्र	14.15/ 1.75	
मै. हैन्गर्स प्लस	महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी तमिलनाडु	1.5/0.37	

उपर्युक्त विवरण गैर परिचालन यूनिटों के आवधिक निगरानी की प्रणाली प्रस्तुत करने के लिए मौजूद मानीटरन प्रणाली की समीक्षा की मांग करता है क्योंकि प्रणाली के अनुसार कुछ भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा गैर परिचालन यूनिटें भी सेज के अतिरिक्त प्रयोजनों हेतु पूंजी कमाने के लिए विकासकों द्वारा बन्धकित की जा रही पट्टाकृत भूमि के जोखिम से भरी हैं जैसी इस प्रतिवेदन के पैरा 4.10 में टिप्पणी की गई।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि निगरानी प्रणाली मजबूत करने के उद्देश्य से सेज आनलाइन प्रणाली आरंभ की गई है। जोनों में यूएसी भी सेज यूनिटों के निष्पादन का मानीटर करते हैं और यूनिटों को दिया गया औपचारिक अनुमोदन एक वर्ष के लिए वैध है और यदि यूनिट परियोजना का कार्यान्वयन नहीं करती है तो उसे औचित्य के साथ आगे वृद्धि के लिए सम्पर्क

करना पड़ता है। यदि सेज का निष्पादन संतोषजनक नहीं है तो वृद्धि नहीं दी जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित मामले दर्शाते हैं कि सेज यूनिटों के निष्पादन के मानीटरन में कमजोरियां थीं।

सिफारिश: *एमओसी एण्ड आई गैर परिचालन यूनिटों के निगरानी का उचित तंत्र लागू करने पर विचार करे।*